संख्या-9/2025/822/22-2-2024-17(428)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 2 जनवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कान्ती पुत्र सेवाराम,जनपद-कासगंज की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-13777/प्रो0अनु0(2)-262/2024 (बैठक दिनांक 12.01.2024), दिनांक 21.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कान्ती पुत्र सेवाराम, निवासी-विस्सुआ, थाना-ढोलना, जनपद-कासगंज का निवासी है। दिनांक 25.02.2009 की रात्रि 12 बजे बन्दी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होरीलाल के मकान में घुसकर होरीलाल व उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी तथा मनोज को नाथू सिंह की बाग में ले जाकर सिर कुचलकर हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-138/2009 में भा0द0वि0की धारा-302/149 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सख्या-1, कासगंज के आदेश दिनाँक 20.12.2010 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 14.08.2015 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 14.12.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 09 माह 07 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 04 माह, 07 दिन की सजा भोगी जा चुकी है। दिनांक 14.12.2023 को बंदी की आयु लगभग 69 वर्ष है।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट कासगंज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 25.02.2009 की रात्रि 12 बजे बन्दी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होरीलाल के मकान में घुसकर होरीलाल व उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी तथा मनोज को नाथू सिंह की बाग में ले जाकर सिर कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कान्ती पुत्र सेवाराम को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कान्ती (बन्दी संख्या-14/16) पुत्र सेवाराम, निवासी-विस्सुआ, थाना-ढोलना, जनपद-कासगंज की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-9/2025/822(1)/22-2-2024-17(428)/2024, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार कासगंज ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुन्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में योजित मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।